

# कायालय नदशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्थानान्तरण/ 2019 दिनांक-29.09.19 के तहत श्री भंवर लाल मीणा, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, अमरवासी, भीलवाडा का स्थानान्तरण गो.गु. राउमावि, आनन्दपुरी-बागीडोरा, बांसवाडा किया गया। श्री भंवर लाल मीणा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या-1038/2020 भंवर लाल मीणा बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एवं अन्य दायर की गई।

माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक-28.09.2020 में अपीलार्थी को आदेशित किया है कि वह प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक-15.10.2020 तक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह तथा जहां पंचायत राज चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां पर आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के 15 दिवस की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री भंवर लाल मीणा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानान्तरित स्थान 600 किमी. दूर होने, पूर्व पदस्थापन स्थान आज दिनांक तक रिक्त होने, प्रार्थी की पत्नी शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के पद पर राउमावि, देवली, टोंक में कार्यरत होने, स्वयं की माता वृद्ध एवं बीमार होने के कारण अपना पदस्थापन 1-राउमावि, देवली, टोंक, 2-राउमावि, अमरवासी-जहाजपुर, भीलवाडा में करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरगंगा से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुरथापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान पर दिनांक-17.10.2019 को कार्यग्रहण भी कर लिया है।


उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

  
(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./भंवरलाल मीणा/1038/2020 दिनांक- 09-10-2020

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
  2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
  3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
  4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बांसवाडा
  5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
  6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
  7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
  8. संबंधित संस्था प्रधान
  9. संबंधित कार्मिक
  10. गार्ड पंजिका।

  
संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर